

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
पत्रांक-10/राज्य स्कीम आ0-13/2022-23

// 8 /आ.रा.

प्रेषक,

कमल किशोर सोन
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

उपायुक्त,
हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो,
देवघर, गोड्डा, पलामू, गढ़वा एवं रामगढ़।

राँची, दिनांक- 12-01-2023

विषय :- राज्य स्कीम मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-102- सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य, उपशीर्ष-19-“वाह्य स्रोत से अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता” के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु कार्यालयवार “मजदूरी” इकाई विपत्र कोड-40S2029001021900103 में कुल ₹9,97,13,000 (रूपये नौ करोड़ सन्तानवे लाख तेरह हजार) मात्र का आवंटन के संबंध में।

महाशय,


विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1447/रा0, दिनांक-05.05.2022 के आलोक में निर्गत ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश संख्या-319, दिनांक-06.05.2022 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आलोक में “मजदूरी” इकाई में कुल ₹9,97,13,000 (रूपये नौ करोड़ सन्तानवे लाख तेरह हजार) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑनलाईन आवंटन भी दिया गया है।
3. वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्कीम के अंतर्गत राज्य के अंचल कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय, जिला भू-अर्जन कार्यालय, अनुमण्डल कार्यालय, अपर समाहर्ता कार्यालय, समाहर्ता कार्यालय (राजस्व प्रशाखा), बंदोबस्त कार्यालय, परिसदन, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, राजभवन, दुमका एवं मुख्यालय में Outsourcing/Contract के माध्यम से सफाई, सुरक्षा, अधिष्ठापित मशीन-उपकरण के संचालन हेतु ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर/वाहन/वाहन के चालक/अमीन/राजस्व कर्मचारी/लिपिक/गृह रक्षक/से.नि. सैनिक/सफाईकर्मी/अनुसेवक आदि की सेवाप्राप्त करने एवं जिला, प्रमण्डल, निदेशालय, राजस्व पर्वद एवं मुख्यालय स्तर पर गठित पी.एम.यू. पर व्यय किये जाने के निमित्त आवंटन दिया जा रहा है।
4. सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से Outsourcing के तहत प्रत्येक अंचल कार्यालय में 2-2 होमगार्ड/सैनिक कल्याण निदेशालय के सेवानिवृत्त कर्मी को 3 पालियों में रखा जाएगा। होमगार्ड/सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी की सेवा प्राप्त करने के समय यह सुनिश्चित हो लेंगे कि वे लोग शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः सक्षम हों। सभी अपर समाहर्ता संबंधित उपायुक्त/सैनिक कल्याण निदेशालय से इस निमित्त अनुरोध कर होमगार्ड/सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी की सेवा प्राप्त करेंगे। होमगार्ड/सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी की सेवा प्राप्त करने पर होने वाले व्यय का वहन इस राशि से किया जाएगा। सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी की सेवा प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दिया जाय।
5. जिला स्तर पर संविदा पर नियुक्त नीलाम पत्र पदाधिकारी का वेतन भुगतान इस राशि से नियमानुसार किया जाय।
6. राज्य के जिन जिलों में वाह्य स्रोत के माध्यम से चयनित एजेंसी से परिसदन भवन का संचालन किया जा रहा है, उन परिसदन भवन में कार्यरत कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु व्यय का वहन इस राशि से किया जाएगा।

क०प०उ०

7. उपर्युक्त सभी कार्यालयों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मियों की सेवा Outsourcing के अंतर्गत निविदा द्वारा चयनित एजेंसी से प्राप्त किया जाए। एजेंसी को स्वीकृत दर के अनुरूप राशि का भुगतान कार्यालय प्रधान का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
8. जिन कार्यालयों में उपर्युक्त कंडिका-2 में उल्लेखित कर्मियों की आवश्यकता है, वहाँ न्यूनतम आवश्यकतानुसार इसके लिए निर्धारित अर्हता वाले लोगों की सेवा Outsourcing/Contract के माध्यम से निविदा द्वारा चयनित एजेंसी से प्राप्त किया जाय।
9. जिन कार्यालयों में विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं है, वहाँ आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार निविदा/कोटेशन के माध्यम से एजेंसी से वाहन प्राप्त करेंगे। इस निमित्त एजेंसी पर होनेवाले व्यय का भुगतान इस योजना से किया जाएगा।
10. योजना व्यय का विकलन राज्य स्कीम अंतर्गत विषयांकित बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपबंधित राशि से होगा।
11. जिन कार्यालयों के लिए स्थापना व्यय से उपरोक्त योजना हेतु राशि आवंटित है, इसके लिए उक्त हद तक इस राशि का व्यय नहीं किया जाएगा तथा इस राशि का लेखा अलग से संघारित किया जाएगा।
12. इस योजना हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।
13. इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय नियमावली एवं सरकारी प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार सभी प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जाएगा।
14. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं पत्रांक-245 दिनांक-30.03.2022 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2023 तक अवश्य कर दिया जाय।
17. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन



(कमल किशोर सोम)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-

118/3/11 राँची, दिनांक-

12-01-2023

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड/संबंधित अपर समाहर्ता/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव।

10/राज्य स्कीम आ. -13/2022-23.....11.8...../आ.रा., दिनांक-12.01.2023

योजना मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-102-सवेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य, उपशीर्ष-19-वाह्य स्रोत से अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि का आवंटन

क्र.	कार्यालय का नाम	DDO Code	आवंटित राशि
1	हजारीबाग	HZBLDR 044	8815000
2	कोडरमा	KDMLDRA 01	5017000
3	चतरा	CTRLDR 003	5000000
4	गिरिडीह	GRDDAD 062	6800000
5	धनबाद	DHNLDR 001	13000000
6	बोकारो	BKRLDR 014	16332000
7	देवघर	DGRLDRA 39	8349000
8	गोड्डा	GDDLDR 001	7800000
9	पलामू	PLMDAD 024	8800000
10	गढ़वा	GRHLDR 003	14000000
11	रामगढ़	RGHLDR 036	5800000
कुल			99713000

(नौ करोड़ सन्तानवे लाख तेरह हजार रूपये मात्र)



(कमल किशोर सोन)

प्रधान सचिव

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

